


5. सैक्टर के ड्रॉ की समाप्ति के उपरान्त प्रतीक्षारत आवेदकों का ड्रॉ अवशेष रिक्त भूखण्ड / भवन के सापेक्ष लाटरी के माध्यम से ड्रॉ करते हुए आबंटन किया जाये । यदि इसके उपरान्त भी भूखण्ड/भवन भी रिक्त रहते हैं तो उन रिक्त भूखण्ड/भवनों को उक्त प्रक्रिया के तहत ही किस्तों में आवेदन करने वाले आवेदकों को लाटरी के माध्यम से ड्रॉ करते हुए आबंटन किया जाये।
6. उपरोक्त प्रक्रिया की समाप्ति के उपरान्त यदि अवशेष भूखण्ड/भवन रिक्त रहते हैं तो उन्हें आगामी योजना में सम्मिलित किये जाये ।

उपरोक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 26.02.2022 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं ।


(दीप चन्द्र)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि -

1. स्टाफ आफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए0एस0/ए0) को अवलोकनार्थ ।
3. महाप्रबन्धक- सम्पत्ति को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. उप महाप्रबन्धक- उद्योग को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. गार्ड फाइल ।



अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं० 1, सेक्टर के०पी०-4,
ग्रेटर नौएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

पत्रांक- सम्पत्ति/ ड्रॉ /2022/188

दिनांक- 04, मार्च, 2022

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की आवासीय सम्पत्तियों (आवासीय भूखण्ड व बिल्टअप योजनाओं) व औद्योगिक भूखण्डों की योजनाओं के पूर्ववत् योजनाओं व आगामी योजनाओं के अन्तर्गत निम्नवत् मैनुअल ड्रॉ प्रक्रिया अपनायी जाये तथा आगामी प्रकाशित होने वाली योजनाओं में इसका समावेश किया जाये -

1. प्रथम ड्रॉ एकमुश्त भुगतान योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के मध्य किया जायेगा तथा भूखण्ड/भवन रिक्त रहने की स्थिति में दूसरा ड्रॉ किस्तों वाले भुगतान करने वाले आवेदकों के मध्य किया जाये ।
2. ड्रॉ में भूखण्डों /भवनों को सैक्टर, क्षेत्रफल के अवरोही तथा अल्फान्यूमरिक **Alphanumeric** के क्रम में रखा जाये । उदाहरणतः - प्रथम ड्रॉ सैक्टर जू-1 का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर (12 भवन), द्वितीय ड्रॉ सैक्टर जू-2, का क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर (15 भवन), तथा तृतीय ड्रॉ सैक्टर जू-3, का क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर (86 भवन) ।
3. यदि किसी भी सैक्टर में रिक्त भूखण्ड/भवन के लिए एक ही भूखण्ड/भवन आवेदन (एकमुश्त भुगतान हेतु) प्राप्त होता है तो उस आवेदनकर्ता के पक्ष में उस रिक्त भूखण्ड/भवन को ड्रॉ के समय सीधे ब्रोशर के एलोटमेंट प्रोसेस के अनुसार आबंटित किया जाए ।
4. योजना के अन्तर्गत सैक्टरवार, क्षेत्रफलवार ड्रॉ में **एकमुश्त भुगतान योजना** के अन्तर्गत निम्न प्रक्रिया अपनाई जाये -
 - क - प्राप्त आवेदनकर्ताओं की समस्त पर्ची एक ड्रम में डाली जायेगी तथा उसमें से प्रथम पर्ची उठाकर उस पर्ची में यह देखा जाये कि उस आवेदक द्वारा अपने आवेदन फार्म में प्रथम विकल्प का क्या चुनाव किया गया है तो उसको प्रथम विकल्प के अनुसार भवन आबंटित किया जाये ।
 - ख- उक्त के पश्चात् दूसरे आवेदक की पर्ची उस ड्रम से निकाली जायेगी तथा उसमें भी यह देखा जाये कि उसके द्वारा प्रथम विकल्प किस भूखण्ड/ भवन का दिया गया है । यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दिये गये प्रथम विकल्प का भूखण्ड/ भवन पहले से ही आबंटित हो चुका है तो, उनके द्वारा भरे गये दूसरे विकल्प को देखा जाये तथा उसके अनुसार उसे दूसरा भवन आबंटित कर दिया जाये ।
 - ग- इसी प्रकार तीसरे आवेदक की पर्ची ड्रम से निकाली जाये तथा उसमें भी यह देखा जाये कि उसके द्वारा प्रथम विकल्प किस भूखण्ड/भवन का दिया गया है । यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दिये गये प्रथम विकल्प का भूखण्ड/भवन पहले से ही आबंटित हो चुका है तो, उनके द्वारा भरे गये दूसरे विकल्प को देखा जाये । यदि उसका दूसरा विकल्प भी आबंटित हो चुका है तो उनके द्वारा भरा गया तीसरा विकल्प देखा जाये । यह प्रक्रिया आवेदक द्वारा भरे गये सभी विकल्पों तक देखी जाये । यदि सभी विकल्पों में चयनित विकल्पों के बाद भी यदि उसको भवन आबंटित नहीं हुआ तो उसको **प्रतीक्षारत रखा जाये** ।